तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी[illegible] अहकाम जो [illegible] हुक्म की ताम[illegible] में जारी हु[illegible]
12.02.2020	पत्रावली पेश हुई। वाकुलाय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र पर बहस की गयी। बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की नहीं की गयी धारा 212 के अन्तर्गत दिया जाना वाला अनुतोष त्वरित अनुतोष है जो 6 माह के भीतर दिया जाना आवश्यक है। ताकि दोनो पक्ष वाद के निस्तारण तक किसी भी प्रकार का वादग्रस्त भूमि पर बदलाव नहीं कर सकते। आज दिनांक तक अप्रार्थी द्वारा विवादग्रस्त भूमि को किसी भी प्रकार से नुकसान नही पहूँचाया गया ऐसा कोई साक्ष्य भी पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई ओचित्य नहीं रह जाता है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भविष्य में प्रार्थी को आवश्यकता पड़ने इस धारा के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,** **जोधपुर**	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2020.02.13 18:42:13 IST
Reason: SelfAttested